सूचना विवरणिका

लोक प्राधिकारी द्वारा तात्कालिक प्रकटन

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005

के अर्न्तगत लोक प्राधिकारी द्वारा तैयार किये गये

17 मैनुअल

(धारा 4(1)ख के अनुपालन में)

मैनुअल संख्या 01 से 17

संस्करण (2021–22)

उच्च शिक्षा निदेशालय

उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 04(1)ख में मैनुअल विवरण
मैनुअल क्रम संख्या–01

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य (धारा 04(1)ख(i)

उत्तराखण्ड को एक ऐसे आदर्श राज्य के रूप में विकसित करना, जो यहा के निवासियों हेतु उच्च स्तर की शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रवर्तन, कला, विज्ञान एवं संस्कृति का संपोषण, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के उच्चतम उन्नयन का सुनिश्चय, प्रत्येक की आवश्यकतानुसार रोजगारपरक कौशलों में समुचित प्रशिक्षण के द्वारा निर्धनता एवं बेरोजगारी का उन्मूलन तथा राज्य के समेकित विकास में उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं शोध केन्द्रों की संवृद्धि और विज्ञान व तकनीकी के प्रयोग हेतु एक उचित परिवेश एवं संरचना का सृजन करने में सहायक हो सकें। इसी उद्देश्य और परिकल्पना के साथ उत्तराखण्ड शासन (तत्कालीन उत्तरांचल) द्वारा वर्ष 2001 में उच्च शिक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड की स्थापना हल्द्वानी (नैनीताल) में की गई।

उच्च शिक्षा विभाग का ध्येय

माध्यमिक शिक्षा की प्राप्ति के उपरान्त युवाओं को आवश्यकता एवं मांग के अनुसार उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, उन्हें सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना, शोधपरक विकास का प्रवर्तन करना।

- पारम्परिक शिक्षा के साथ–साथ पेशेवर एवं रोजगारपकर पाठ्यक्रम संचालित करना।
- नवोदित राज्य उत्तराखण्ड को ज्ञान के केन्द्र के रूप में विकसित कर एक जागृत व समृद्ध राज्य बनाना।
- कला, संस्कृति एवं विज्ञान का विकास, युवावर्ग के व्यक्तित्व, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में निश्चित रूप से सहायक होगा, जिनमें सूचना एवं तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका एवं स्थान होगा।
- उत्तराखण्ड के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, जिससे वह वैश्विक चुनौतियों का बेहतर रूप में सामना कर सकें।

उच्च शिक्षा विभाग के उद्देश्य

- 14 वर्ष तक की उम्र के समस्त बालक एवं बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक दायित्व के अनुक्रम में, उच्च गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना तथा सभी योग्य विद्यार्थियों को पेशेवर शिक्षा सहित उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना।
- नवोदित ज्ञान अर्थव्यवस्था के लिए शिक्षित एवं कौशल युक्त प्रशिक्षित मानव संपदा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना।

- राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिये रोजगारपरक कौशल में और प्रौढ़ व रोजगार प्राप्त कर्मचारियों के कौशल विकास में अभिवृद्धि हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
- उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं शोध हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना में निजी विनियोग को आकर्षित करना।

प्रदेश में उच्च शिक्षा एक दृष्टि में

विश्वविद्यालयों/अखिल भारतीय तकनीकी संस्थानों की संख्याः

- केन्द्रीय विश्वविद्यालय –01
- राज्य विश्वविद्यालय –05
- निजी विश्वविद्यालय–18
- डीम्ड विश्वविद्यालय–03
- कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय–01
- केन्द्रीय तकनीकी संस्थान/आई0आई0टी–01
- अन्य संस्थान–02

सामान्य उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या–01
सामान्य उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे राज्य विश्वविद्यालय की संख्या–05
विश्वविद्यालय परिसरों सहित महाविद्यालयों की संख्या– 145

- राज्य विश्वविद्यालय परिसर–05
- शासकीय महाविद्यालय–119
- अशासकीय महाविद्यालय–21

उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षाः उद्भव एवं विकास

उच्च शिक्षा के प्रति उत्तराखण्ड के निवासियों का प्रारम्भ से ही रूझान रहा है, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्डवासियों द्वारा देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति, नौकरशाही, सेना, विज्ञान एवं तकनीकी, जनसंचार, शोध इत्यादि क्षेत्रों में गरिमामय उपस्थिति एवं योगदान में प्रतिबिम्बित होती है। प्रदेश में ही उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी इत्यादि में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना स्वातन्त्रयोत्तर काल में हुई, किन्तु उच्च शिक्षा का वास्तविक प्रसार सत्तरादि के दशक से प्रारम्भ हुआ, जबकि असेवित एवं दूर दराज के क्षेत्रों में महाविद्यालयों की स्थापना बड़े पैमाने पर हुई ताकि कमजोर आर्थिक स्थिति एवं विषम भौगौलिक परिस्थितियों की विशिष्ट स्थिति में उच्च शिक्षा के अवसरों तक सामान्य जनता की पहुँच सुलभ बनाई जा सके। राज्य गठन के पूर्व महाविद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी थी तथा उच्च शिक्षा की वर्तमान संरचना राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न नवीन चुनौतियों एवं अवसरों के साथ समायोजन करने में असमर्थ थी। राज्य गठन के पश्चात शासन द्वारा उच्च शिक्षा के प्रसार तथा गुणवत्ता के सुनिश्चयीकरण हेतु बजट में निरन्तर अधिक धनराशि उपलब्ध कराई गई तथा

उच्च शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी तथा नवोन्मेशों का उपयोग प्रारम्भ हुआ। प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास एवं प्रगति को निम्नांकित 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः–

उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा की प्रगति

(क) प्रवर्तक एवं प्रारम्भिक विकास की अवस्था : (सन् 1970 से पूर्व)

- डी0ए0वी0 अशासकीय महाविद्यालय की स्थापना (1946)
- रूड़की इंजीनियरिंग कॉलेज महाविद्यालय की स्थापना (1949)
- प्रथम अशासकीय महाविद्यालय डी0एस0बी0 महाविद्यालय, नैनीताल की स्थापना (1951)
- अल्मोड़ा कॉलेज की स्थापना (1954)
- एम0के0पी0 कॉलेज की स्थापना (1958)
- पं0गो0 बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर की स्थापना (1960)

(ख) प्रसार एवं समृद्धि की अवस्था : (राज्य गठन से पूर्व)

- सत्तरादि के दशक में 15, अस्सी के दशक में 05 तथा नब्बे के दशक में 09 शासकीस महाविद्यालयों की स्थापना तथा 03 अशासकीय महाविद्यालयों–एम0बी0 हल्द्वानी, अल्मोड़ा एवं काशीपुर के प्रान्तीकरण से शासकीय महाविद्यालयों की संख्या 34 हुई।
- संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा), उत्तराखण्ड कार्यालय की स्थापना हल्द्वानी में (1996)
- कुमाऊँ, गढ़वाल तथा दो डीम्ड विश्वविद्यालयों (हरिद्वार एवं देहरादून) की स्थापना

(ग) तीव्र प्रसार एवं सृमद्धि तथा गुणवत्ता सुनिश्चयीकरण के प्रति चेतना की अवस्थाः (राज्य गठन के पश्चात)

- उच्च शिक्षा के संवर्द्धन, आधुनिकीकरण, विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड संस्थान की हल्द्वानी(नैनीताल) में स्थापना की गई (2001);
- शासन स्तर पर समन्वयकारी भूमिका के निर्वहन एवं अशासकीय महाविद्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु देहरादून में उच्च शिक्षा (शिविर कार्यालय) की स्थापना की गई, जिसमें उपनिदेशक पद द्वारा शिविर कार्यालय का कार्य संचालन प्रारम्भ किया गया (2002)
- स्ववित्त पोषित महाविद्यालय देवप्रयाग का प्रान्तीकरण तथा चन्द्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय, काशीपुर अनुदान सूची में सम्मिलित। वर्ष 2001–02 में 15, 2003–04 में 01, 2004–05 में 02, तथा 2005–06 में 02 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना।

- वर्ष 2006–07 में नये 10, वर्ष 2008–09 में 02, वर्ष 2009–10 में 02, वर्ष 2010–11 में 01, वर्ष 2013–14 में 10, वर्ष 2015–16 में 04, 2016–17 में 05, वर्ष 2017–18 में 01, वर्ष 2018–19 व 2019–20 में 01–01, 2020–21 में 01, 2021–22 में 12 नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई।
  - वर्ष 2009 में बाल गंगा महाविद्यालय सेन्दुल कैमर (टिहरी गढ़वाल) को अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया।
  - वर्ष 2015 में राठ महाविद्यालय, पैठाणी (पौड़ी गढ़वाल) को अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया।
  - वर्ष 2016 में स्ववित्त पोषित महाविद्यालय, हल्दूचौड़ (नैनीताल) का प्रान्तीयकरण किया गया।
  - 2017 में चमनलाल महाविद्यालय, लंढौर (हरिद्वार) को अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया।
  - वर्ष 2019 में हर्ष विद्या मंदिर, रायसी को अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया।
  - 2020 में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा की पृथक से स्थापना की गयी।

उच्च शिक्षा निदेशालय के दायित्व एवं कर्तव्य

- प्रदेश के समस्त राजकीय महाविद्यालयों के प्रबन्धन, नियन्त्रण तथा उनके कार्यो का दायित्व।
- प्रदेश के समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शासकीय व्यवस्था के माध्यम से वेतन वितरण एवं उससे सम्बन्धित अन्य प्रशासनिक कार्य तथा समय–समय पर पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण।
- अध्यापकों की वर्तमान रिक्तियों तथा आने वाले शिक्षा सत्र के दौरान सम्बन्धित रिक्तियों की सूचना महाविद्यालयों से प्राप्त करना तथा सूचित रिक्तियों की विषयवार समेकित सूची आयोग को विज्ञापन एवं चयन हेतु प्रेषित करना।
- भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति।
- सेवानिवृत्ति पर भविष्यनिधि में जमा अन्तिम देय धनराशि की स्वीकृति।
- उच्च शिक्षा में सम्बन्धित न्यायालय वाद सम्बन्धी कार्य।
- शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों के अभिलेखों का मुख्यालय की आडिट इकाई द्वारा आन्तरिक सम्प्रेक्षण।

वर्ष 2021–2022 में प्राप्त उपलब्धियां :–

- विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2021–22 में सभी स्नातकोत्तर एवं स्नातक महाविद्यालयों में प्राचार्यों के रिक्त पदों पर पदोन्नति कर विभिन्न महाविद्यालयों में तैनाती की गयी।

- वर्ष 2021–22 हेतु विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के विभिन्न रिक्त पदों पर पदोन्नति की गयी।
- लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड से 877 रिक्त पदों के सापेक्ष चयनित 463 प्राध्यापकों को विभिन्न यथा मनोविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, अंग्रेजी, वाणिज्य, गणित, कम्प्यूटर साइंस, भूगर्भ विज्ञान, भौतिक विज्ञान, संगीत, रसायन विज्ञान, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, जन्तु विज्ञान, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी0टी0एस0, सैन्य विज्ञान आदि विषयों में विभिन्न महाविद्यालयों में नियुक्ति प्रदान की गई हैं।
- दिनांक 28–29 नवम्बर, 2020 को उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं नवाचार संगोष्ठी का आयोजन दून विश्वविद्यालय, देहरादून में सम्पन्न किया गया, जिसमें सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने प्रतिभाग कर अपने महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा गुणवत्ता, उन्नयन एवं नवाचार पर संगोष्ठी आयोजित की।
- राजकीय महाविद्यालय, मालधनचौड़, पाटी, पावकीदेवी, नारायण बगड़, खानपुर, तल्ला सल्ट व ब्रह्मखाल को भूमि उपलब्ध करायी गयी।
- उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत सभी राजकीय महाविद्यालयों /विश्वविद्यालयों में सत्र 2021–22 में इण्टरनेट कनैक्टिविटी/विडियो कान्फ्रैसिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
- प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों में ई–ग्रन्थालय की स्थापना की गयी है।
- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ठ शिक्षकों को सम्मानित करने हेतु भक्तदर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार का शुभारम्भ किया गया, जिसमें विभिन्न विषय क्षेत्रों में चयनित 04 उत्कृष्ठ शिक्षकों को दिनांक 01. 11.2020 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा पुरस्कार स्वरूप रू0 50.00 हजार की धनराशि दी गयी।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रदेश की उच्च शिक्षा में समावेश किये जाने हेतु शिक्षाविदों की उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसके परिपालनार्थ कार्ययोजना गतिमान।
- वर्ष 2021–22 में राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 विधानसभा में पारित किया गया।
- मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 08 नवम्बर, 2020 को राजकीय महाविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों में 4जी इण्टरनेट कनेक्टिविटी का उद्घाटन किया।

भावी कार्यक्रम एवं व्यूह नीतियां :

- समस्त अर्ह महाविद्यालयों का नैक द्वारा मूल्यॉंकन एवं प्रत्यायन कराना।
- मूल्यॉंकित एवं प्रत्यायनित महाविद्यालयों में आन्तरिक गुणवत्ता विनिश्चयन।
- आन्तरिक गुणवत्ता और मूल्याकंन प्रकोष्ठ (IQAC) की स्थापना तथा उन्हें प्रभावशाली बनाना।
- समस्त अवशेष महाविद्यालयों को यू0जी0सी0 की धारा–2एफ एवं 12बीकी मान्यता प्राप्त कराने हेतु मानकों को पूर्ण कराना यथा भूमि क्रय/भवन निर्माण, पदों का सृजन एवं नियुक्तियॉ, अतिरिक्त विषयों एवं संकायों की स्वीकृति इत्यादि, जिसमें इन महाविद्यालयों को भी मूल्यॉंकन हेतु अर्ह बनाया जा सके।
- शोध एवं प्रसार को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- पाठ्यक्रम सामग्री का विकास एवं डिजिटाईजेशन (Content development & Digitisation)करना, जिससे एडूसेट प्रणाली का अधिकतम उपयोग हो सके।
- विभाग की वैबसाईट पर निदेशालय एवं महाविद्यालयों के कार्यालयों को सूचना तकनीक के माध्यम से जोड़ना।
- समस्त महाविद्यालयों में इन्टरनेट–कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करना।
- प्राध्यापकों की लोक सेवा अयोग से नियुक्ति प्रक्रिया को तीव्र करने के प्रयास करना।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु रैमेडियल पाठ्क्रम संचालित करना।
- दूरस्थ महाविद्यालयों में आवासीय भवनों तथा छात्रावासों का निमार्ण करना।
- उत्तराखण्ड की भौगोलिक एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुरूप रोजगार परक पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहन देना, उद्योग जगत के साथ अन्तः क्रियात्मक सम्बन्ध स्थापित करना तथा देश एवं प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ परस्पर सहयोग करना।
- शासकीय महाविद्यालयों में निजी संस्थानों से कम शुल्क पर स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रमों का विस्तार करना।
- सुदृढ़ एवं सम्भावनायुक्त महाविद्यालयों को स्वायत्तशासी महाविद्यालय के रूप में विकसित करना।
- पारंपरिक एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में समन्वय के द्वारा शिक्षा की पहुँच एवं गुणवत्ता में अभिवृद्धि करना।

- महाविद्यालयों एवं निदेशालय में प्रशासन तथा अभिलेख प्रबन्धन में सूचना तकनीक का नवाचार पर आधारित उपयोग करना।
- शासकीय महाविद्यालयों में निजी क्षेत्र से कम शुल्क पर स्ववित्तपोषित अन्य रोजगारपरक पाठ्यक्रमों, यथा एम0बी0ए0, एम0सी0ए0, बायोटेक्नालॉजी, माइक्रोबाइलॉजी, मेडिकल प्रयोगशाला तकनीक, पत्रकारिता इत्यादि पाठ्यक्रमों को संचालित करना।
- MOOCS कोर्स को बढ़ावा देते हुए ODL (Open Distance Learning) मोड में समकालीन आवश्यकता के अनुरूप कोर्स संचालित करने का प्रयत्न करना, जिसे गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा व्यापक Online mode से सुलभ कराई जा सके।
- निदेशालय स्तर से महाविद्यालयों का औचक निरीक्षण कर प्रशासन व प्रबन्धन को प्रभावशाली बनाना।
- महाविद्यालयों एवं निदेशाालय में प्रशासन तथा अभिलेख प्रबन्धन में सूचना तकनीक का नवाचार आधारित उपयोग करना MIS, E-office, E- aakalan जैसी व्यवस्थागत संरचना का विकास।
- महाविद्यालयों के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने हेतु निरन्तर अनुश्रवण एवं निरीक्षण की प्रणाली को प्रदेश स्तर पर प्रभावशाली बनाना।
- प्रदेश के उन महाविद्यालयों, जिनके पास वर्तमान में भूमि नहीं है, के लिए भूमि अर्जन की प्रक्रिया को प्राथमिकता के क्रम में गतिमान कराना।
- अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण पोर्टल AISHE में सभी राजकीय व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों की सूचानाएं अपलोड कराना।
- छात्रों के पठन–पाठन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए महाविद्यालयों में छात्रों के लिए बायोमेट्रीक उपस्थिति लागू करना।
- अधिकाधिक महाविद्यालयों में NCC, NSS और रोवर एण्ड रेंजर्स स्थापना।
- उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यायलों/ महाविद्यालयों के संस्थागत छात्रों को स्नातक प्रथम वर्ष में वि0वि0 की मेरिट सूची में आने वाले प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आए छात्रों को मेरिट छात्रवृति प्रदान करना, जो शोध अध्ययन अवधि तक जारी रहेगी।
- उत्तराखण्ड राज्य के निवासी प्रतिभावान छात्र/छात्राएं, जिन्होंने उत्तराखण्ड राज्य वि0वि0/महाविद्यालय में स्नातक/परास्नातक की उपाधि ली हैं, तथा संघ लोक सेवा आयोग अथवा राज्य लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा ऐसे छात्र जिन्होंने CDS/OTA की प्री परीक्षा पास की हो अन्यथा NCC ‘C’

प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण कर साक्षात्कार प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हों, को कोचिंग/तैयारी के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता।

- उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा में शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए पृथक शोध एवं विकास मद की स्थापना का प्रस्ताव।
- उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पृथक नवोन्मेष मद की स्थापना।
- उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा को विभिन्न आयामों से जोड़ते हुए रोजगार एवं कौशलपरक बनाने की दिशा में कार्य करना।
- Clean Campus Green Campus के तहत महाविद्यालयों/संस्थानों में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की चेतना जागृत कर पर्यावरण समृद्धि की दिशा में कार्य करना।
- महाविद्यालयों में शत–प्रतिशत प्राचार्यो/शिक्षकों की नियुक्ति करना।
- नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू करने हेतु उच्च शिक्षण संस्थानों को सक्षम बनाने का प्रयत्न करना।
- राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रूद्रपुर (उधम सिंह नगर) को सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाये जाने की योजना।
- विश्वस्तरीय राज्य स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण देहरादून में आइसर विश्वविद्यालय/फारेन्सिक विश्वविद्यालय / राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केन्द्र उत्तराखण्ड में खोला जाना प्रस्तावित।
- उत्तराखण्ड के प्रत्येक जिले में एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय को मॉडल कॉलेज के रूप में विकसित करना।
- दुर्गम महाविद्यालयों में अतिथि गृह प्राचार्य/शिक्षक/शिक्षणेत्तर स्टाफ हेतु आवास का निमार्ण।
- समस्त राजकीय महाविद्यालयों में विडियों कान्फ्रैसिंग हेतु चैट रूप की व्यवस्था करना।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 04(1)ख में मैनुअल विवरण

मैनुअल क्रम संख्या–02

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य (धारा 04(1)ख(ii)

1. निदेशक, उच्च शिक्षा के द्वारा सम्पादित होने वाले प्रमुख कार्यों का विवरण।
2. निदेशक के अधिकार।
3. संयुक्त निदेशक के कार्य एवं दायित्य।
4. उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय (उच्च शिक्षा), देहरादून के कार्य एवं दायित्य।
5. राजकीय/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार।
6. वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन एवं वित्तीय अधिकार।

01.निदेशक, उच्च शिक्षा के द्वारा सम्पादित होने वाले प्रमुख कार्यों का विवरणः–

(क)राजकीय महाविद्यालयों से सम्बन्धित कार्यः–

1. राजकीय महाविद्यालयों का वार्षिक बजट तैयार कराना, प्राध्यापकों की तैनाती/स्थानान्तरण तथा प्रोन्नति के प्रस्ताव संस्तुत करना।
2. उन महाविद्यालयों के प्राध्यापकों एवं प्राचार्यों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच एवं अनुशासनिक/प्रशासनिक कार्यवाही संस्तुत करना।
3. नये पदों का सृजन तथा नये राजकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु शासन को संस्तुति करना।
4. शिक्षकों/कर्मचारियों के विभिन्न प्रकार के अवकाश की स्वीकृति।
5. प्राचार्य/शिक्षकों की पेंशन, भविष्य निधि तथा विभिन्न प्रकार के अग्रिम भुगतान के निस्तारण सम्बन्धी कार्यवाही करना।
6. महाविद्यालयों के विकास हेतु अनावर्तक/आवर्तक धनराशि का आंवटन।

(ख)अशासकीय महाविद्यालयों से सम्बन्धित कार्यः–

1. शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु अनुदान का आवंटन किया जाना।
2. शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर नये पदों के सृजन संबंधी कार्यवाही, रिक्त होने वाले पदों का सततीकरण तथा पदों का स्थायीकरण।
3. शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन निर्धारण, चयन वेतनमान स्वीकृत किया जाना तथा वेतन संबंधी विवादों का निपटारा।
4. सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृती तथा सेवानिवृत्ति पर भविष्य निधि की राशि का अन्तिम भुगतान।
5. नये महाविद्यालयों के खोले जाने का प्रस्ताव तैयार करना।

6. महाविद्यालय के खोले जाने तथा पूर्व में चल रहें महाविद्यालयों में नये विषयों को खोले जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करना।
7. महाविद्यालयों का ऑडिट कराना तथा आडिट आपत्तियों का निराकरण, अनियमितताओं की जांच कराना, विभिन्न स्त्रोतों से शासन को प्राप्त शिकायतों की जांच कराना तथा तद्नुसार कार्यवाही कराना।
8. महाविद्यालयों में प्राधिकृत नियंत्रक/प्रशासक नियुक्ति किये जाने से संबन्धित कार्यवाही।
9. महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की वर्तमान रिक्तियों और आने वाले शिक्षक वर्ग के दौरान सम्भावित रिक्तियों की सूचना महाविद्यालयों से प्राप्त कराना।
10. संसूचित रिक्तियों की विषयवार समेकित सूची तैयार कर विज्ञापन एवं चयन हेतु प्रस्तुत करना।
11. प्रकीर्ण संस्थाओं को सहायक अनुदान प्रदान किया जाना।
12. शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्तियों को अनुमोदन प्रदान किया जाना।

(ग) प्रदेश के अशासकीय तथा राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षित होने की दशा में शिक्षकों, कार्यालय अधीक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों/उप पुस्तकालयाध्यक्षों तथा को–आर्डिनेटरों के वेतन निर्धारण का कार्य उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा सम्पन्न किया जाता है।

(घ) अशासकीय/शासकीय महाविद्यालयों से सम्बन्धित न्यायालयों में चल रहें वादों की पैरवी, छात्रों की विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों की स्वीकृति, छात्रवृत्ति की वसूली तथा उच्च शिक्षा से सम्बन्धित सभी प्रकार के आंकडे एकत्रित करना और विकास हेतु योजना बनाना तथा शिक्षकों/प्राचार्यों का प्रशिक्षण कार्य भी निदेशालय द्वारा किया जाता है साथ ही विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में शासन के उत्तर देना इत्यादि।

(ड़) उच्च शिक्षा का बजट तैयार करना।

<u>02.(क) निदेशक के अधिकार</u>

1. महाविद्यालयों हेतु साम्रगी खरीदने हेतु क्रयादेश करना।
2. चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रदान करना।
3. कैरियर एडवान्समेन्ट योजना (Career Advancement Scheme) के अन्तर्गत वरिष्ठ चयन प्रोफेसर वेतनमान संस्तुत करने का अधिकार।
4. निष्प्रयोज्य सामग्री का अपलेखन कर विनिष्टिकरण का कार्य संपादित करना।
5. संस्थाओं में विशेष परिस्थितियों में प्रवक्ताओं को तात्कालिक व्यवस्था हेतु सम्बद्व किये जाने का अधिकार।

03. संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा) के कार्यों/दायित्य

1. उच्च शिक्षा निदेशालय तथा अधीनस्थ कार्यालय/महाविद्यालयों के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण यथा नियुक्तियां, स्थानान्तरण, वेतन निर्धारण, अनुशासनात्मक कार्यवाही, कार्यालय अधीक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों की गोपनीय चरित्र प्रविष्टियों का अंकन व रखरखाव।
2. शासकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त तथा अनुदानित महाविद्यालयों की स्थाई/अस्थाई सम्बद्धता के प्रकरण, नये विषयों/संकायों का खोला जाना, नई योजनाओं का क्रियावन्यन तथा बजट प्रस्ताव।
3. शासकीय/सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक वर्ग/शिक्षेणत्तर कर्मचारियों के पेंशन/उपादान/भविष्य निधि अन्तिम भुगतान/सामूहिक बीमा, उपार्जित अवकाश के नगदीकरण के समस्त प्रकरण।
4. अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति, पद सृजन के प्रस्ताव तथा तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के अनुमोदन के प्रकरण।
5. महाविद्यालय के भवन निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा तथा भवन निर्माण कार्य के नये प्रस्तावों पर कार्यवाही।
6. महविद्यालयों के स्टाफ स्टेटमेंन्ट के अनुसार सांख्यकीय आंकड़ों का संकलन, रोस्टर पंजिकाओं का–रखाव, विभागीय प्रगति विवरण/दिग्दर्शिका का प्रकाशन।
7. शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की समीक्षा के प्रकरण/अनुपालन आख्याओं की समीक्षा/निस्तारण।
8. निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा समय–समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों का निस्तारण।

04. उपनिदेशक, उच्च शिक्षा के कार्यों एवं दायित्यों का विवरण

(क)प्रशासनिक कार्यः–

1. अशासकीय महाविद्यालयों की प्रशासनिक जांच एवं निरीक्षण सम्बन्धी कार्य।
2. नये विषय खोलने के लिऐ, पैनल में निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि के रूप में महाविद्यालयों का निरीक्षण करना।
3. शासन तथा निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा दिये गये विशेष कार्यों का सम्पादन।
4. शासन के आदेश पर राजकीय महाविद्यालयों के खोले जाने हेतु क्लीयरेंस देने के लिए निरीक्षण करना एवं संस्तुति देना।

(ख) विकास/सांख्यिकी संबंधी कार्यः—

1. विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों से सांख्यिकी आंकड़े एकत्रित करना अथवा विश्लेषण कर उन्हें संकलित करना।
2. उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण करना।
3. महाविद्यालयों के शैक्षणिक कार्य संबंधी प्रवृतियों की सूचना एकत्र कर संकलित करना।
4. जनहित में विभागीय सूचनाओं को समय—समय पर प्रकाशित करना।
5. राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा।

(ग) वित्तीय कार्यः—

1. उ0प्र0 शैक्षिक संस्थाओं (आस्तियों) के अपव्यय निवारण अधिनियम 1974 के अन्तर्गत महाविद्यालयों के अभिलेखों का लेखा रखना एवं तत्संबंधी जांच करना।
2. उच्च शिक्षा के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई सम्परीक्षा आख्या तैयार करना।
3. आपदा स्थिति जैसेः बाढ, सूखा, भूकंप आदि के संबंध में क्षति का आंकलन करना व क्षतिपूर्ति अनुदान हेतु प्रस्ताव तैयार कराना।
4. विभिन्न अनुदानों अनावर्तक अनुदानों से सम्बन्धित महाविद्यालयों के आवेदन पत्र परीक्षण करना।
5. उपभोग प्रमाण—पत्र को महाविद्यालयों से प्राप्त करना तथा उनका सत्यापन करना।
6. नई पेंशन योजनान्तर्गत सामान्य भविष्य निधि की कटौती तथा संबधित अभिलेखों का निरीक्षण करना तथा उनके रख—रखाव को सुनिश्चित करना।
7. महाविद्यालयों का लेखा परीक्षण करना।
8. पुस्तकालयध्यक्ष, उप पुस्तकालयध्यक्ष, बर्सर, कार्यालय अधीक्षक तथा को—आर्डिनेटर के पदों को छोडकर शेष सभी तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का वेतन निर्धारण करना।

05. राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्यों के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार

1. महाविद्यालयों की सामान्य प्रशासकीय व्यवस्था, अनुशासन, सामान्य कार्य—संचालन।
2. शिक्षण व्यवस्था, छात्र प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षाओं का आयोजन।
3. शिक्षणेत्तर क्रियाकलाप, खेलकूद गतिविधियों का आयोजन।
4. सहायक पुस्तकालयध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक, कैटलागर आदि पदों को छोड़कर वर्ग 'ग' तथा 'घ' के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव संस्तुत करना।
5. शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों की गोपनीय प्रविष्टियों का अंकन/अनुशासनात्मक कार्यवाही।
6. वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन व वित्तीय अधिकार।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 04(1)ख में मैनुअल विवरण

मैनुअल क्रम संख्या–03

विनिश्चय किये जाने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं (धारा 04(1)ख(**iii**)

1. निर्णय करने की प्रक्रिया, पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित।
2. महाविद्यालयों का प्रशासनिक, शैक्षणिक नियंत्रण एवं निर्देशन, प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा तिथियों का निर्धारण एवं शैक्षिणक कलैण्डर संबंधी प्रक्रिया।
3. नये महाविद्यालयों के खोले जाने में भूमि एवं भवन, पदों एवं अनुदान इत्यादि के मानकों के निर्धारण संबंधी शासनादेश।
4. नये महाविद्यालयों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों के प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण।

01.निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित)

शासकीय प्रकृति के रेखीय संगठन में प्राधिकारी उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होते हैं जबकि इसके विपरीत उत्तरदायित्व उच्च स्तर की ओर प्रभावित होते हैं और इस प्रकार निर्णयन प्रक्रिया पद सोपान क्रम में समान भागों में निहित होती है, जिसे निम्नवत रेखांकित किया जा सकता हैः–

- प्रत्येक प्रकरण, जो समुचित प्राधिकारी के विचारार्थ लाया जाता है, सर्वप्रथम अभिलेख एवं प्रपत्रों को धारित करने वाले अनुभाग के पास सत्यापन हेतु भेजा जाता है, जिनके द्वारा उस पर अनुपालन में की गई प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति तथा उपलब्ध नियमों एवं विनियमों के आलोक में की जा सकने वाली कार्यवाही का उल्लेख किया जाता है।
- पदधारणकर्ता प्रभारी अधिकारी प्रकरण के समय से निस्तारण को सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करते हैं तथा पत्रावली में अपनी टिप्पणी अंकित कर उसे उच्च प्राधिकारी को भेजते हैं।
- उच्च प्राधिकारी प्रकरण की प्रकृति के अनुसार उचित होने पर, अनुकूलतम एवं सर्वोत्तम संभव निर्णय पर पहुँचने हेतु उसके समस्त आयामों पर विचार–विमर्श करते हैं।
- विधिक एवं विशेषज्ञ राय की आवश्यकता वाले प्रकरणों में उनसे सलाह के पश्चात ही निर्णय लिये जाते हैं तथा उच्च प्राधिकारियों के पास, निर्देशों एवं स्वीकृतियों हेतु प्रेषित प्रत्येक प्रस्तावों पर उनके निर्देश प्राप्त किये जाते हैं।
- उचित निर्णयों पर पहुँचने हेतु विभागीय स्तर पर नियुक्त समितियों से, उनको सौंपे गये विशिष्ट कार्य पर उनकी संस्तुतियाँ भी प्राप्त की जाती हैं।

- नियमों एवं आदेशों के अनुसार प्रत्येक समूह के अधिकारियों हेतु अनुमन्य प्रतिनिहित प्राधिकार सीमा के अन्तर्गत ही निर्णय लिये जाते हैं। उचित नियोजन, नीति आयोग निमार्ण एवं क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु सेमिनारों, सम्मेलनों, सभाओं एवं कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता है।

02. महाविद्यालयों का प्रशासनिक एवं शैक्षणिक नियंत्रण व निर्देशन, प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा तिथियों का निर्धारण एवं शैक्षणिक कलैण्डर संबंधी प्रक्रिया

उत्तराखण्ड में अवस्थित सामान्य शिक्षा प्रदान करने वाले शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों पर उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड का प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियत्रण स्थापित है परन्तु शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सम्बन्धित महाविद्यालय पर यथा कुमाऊँ विश्वविद्यालय एवं गढवाल विश्वविद्यालय का निर्देशन एवं नियत्रण रहता है। विश्वविद्यालयों के द्वारा ही अपने सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर गतिविधियों का कलैण्डर तैयार किया जाता है जिसके लिए विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समितियों में महाविद्यालयों के प्राचार्य अथवा उनके प्रतिनिधि भी सदस्य होते हैं।

1. प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों एवं प्रक्रिया का निर्धारण प्रति वर्ष सम्बन्धित विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता हैं। यह नियम विभिन्न महाविद्यालयों के द्वारा निर्गमित सूचना विवरणिकाओं में भी प्रकाशित होते हैं। महाविद्यालयों में प्रवेश इन्हीं नियमों के अन्तर्गत किया जाता है।
2. कतिपय पेशेवर एवं व्यावसायिक पाठय्क्रमों यथा बी0एड0, एम0बी0ए0, एल0एल0बी0, एल0एल0एम0, व्यावसायिक पाठयक्रमों इत्यादि में प्रवेश पात्रता परीक्षा के आधार पर किये जाते हैं जबकि अन्य पाठयक्रमों में उपलब्ध सीटों पर योग्यता के क्रम में विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश दिया जाता है।
3. परीक्षा तिथियों एवं पाठयक्रमों का निर्धारण विश्वविद्यालयों के द्वारा किया जाता है तथा परीक्षायें महाविद्यालयों में बनाये गये परीक्षा केन्द्रों पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय के निर्देशन में आयोजित करायी जाती हैं, वरिष्ठ एव सहायक केन्द्राधीक्षकों, प्रयोगिक परीक्षा परीक्षकों, प्रधान एवं सहायक परीक्षकों की नियुक्तियां सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के द्वारा प्रत्येक वर्ष की जाती है तथा परीक्षा परिणाम भी विश्वविद्यालय के द्वारा घोषित किये जाते हैं।
4. विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार ही विभिन्न महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है एवं राष्ट्रीय सेवायोजना जैसे सामान्य कार्यक्रमों एवं विशेष शिविरों का आयोजन भी विश्वविद्यालय के द्वारा घोषित कलैण्डर के अनुसार किया जाता है।

5. शासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का स्थानान्तरण एवं पदोन्नति के द्वारा विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में तैनाती सामान्यतः वार्षिक प्रबन्ध के समय की जाती है।
6. नये महाविद्यालयों के खोले जाने की प्रक्रिया एवं भूमि भवन तथा पदों एवं अनुदान के मानक विभिन्न शासनादेशों के द्वारा निर्धारित किये जाते है।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 04(1)ख में मैनुअल विवरण

मैनुअल क्रम संख्या–04

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मापदण्ड (धारा 04(1)ख(**iv**)

लोक प्राधिकारी द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मापदण्ड का विवरण मैनुअल–03 में उल्लिखित समस्त नियमों, विनियमों, अनुदेशों तथा अभिलेखों में वर्णित हैं। इसके अतिरिक्त निम्नाकिंत नियमावलियों से भी विषयों का सन्दर्भ आवश्यकतानुसार लिया जाता है।

1. उत्तर प्रदेश मूल नियम वित्तीय हस्त पुस्तिका (समस्त खण्ड)
2. मूल सेवा नियमावली
3. सरकारी कर्मचारियों आचरण नियावली

कार्यालय में उपस्थिति एवं स्थितता का समय (उच्च शिक्षा निदेशालय एवं महाविद्यालयों में संचालित व्यवस्था) :–

प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 05 बजे तक (कार्य दिवस) निदेशालय/महाविद्यालय में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार नियमित रूप में अधिकरियों/प्राध्यापकों/कर्मचारियों की उपस्थिति रहती है किन्तु प्रत्येक प्राध्यापक के लिए न्यूनतम 5 घण्टे की उपस्थिति यू0जी0सी0 मानकों के अनुसार अनिवार्य है। निदेशालय/महाविद्यालय प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार अधिक समय उपस्थित रहने के निर्देश जारी किए जा सकते है।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 04(1)ख में मैनुअल विवरण
मैनुअल क्रम संख्या–05

अपने नियत्रंणाधीन धारित अथवा अपने कार्मिकों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिक एवं अभिलेख(धारा 04(1)ख(v)

लोक प्राधिकारी एवं उसके अधीन कार्यरत कार्मिकों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त दिशा–निर्देशों एवं नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जाता है। इस प्रयोजनार्थ मुख्यतः निम्नाकिंत स्रोतों का अवलोकन किया जाता हैः–

नियमों, विनियमों, अनुदेशों आदि के स्रोतः

- उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम, विनियम, दिशा–निर्देश इत्यादि।
- उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा नियमावली (संशोधन सहित)– 2003
- उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह 'ख', 'ग' व 'घ') सेवा नियमावली (संशोधन सहित)।
- न्यायपालिका के निर्णय, आदेश एवं निर्देश।
- विभिन्न शासनादेश, अध्यादेश एवं अधिसूचनाऐं।
- शासन द्वारा निर्गत विभिन्न विज्ञप्तियां एवं कार्यालय आदेश।
- विश्वविद्यालय स्तरीय विभिन्न बोर्ड़ों, परिषदों, समितियों द्वारा पारित विभिन्न प्रस्ताव, नियम एवं अनुदेश।

निर्देशिकायें–

- प्रगति, प्रतिवेदन (वार्षिक)।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विकास योजनायें।
- उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका/आय–व्ययक (वार्षिक)।

अभिलेखः

- श्रेणीवार कार्मिकों की उपस्थिति पंजिकायें।
- पत्र प्रेषण एवं प्रगति पंजिकायें।
- वर्गीकृत पत्रावलियों एवं गार्ड फाईलें।

- रोकड़ बही, स्टॉक पंजिकायें, खाता बही, शुल्क पंजिकायें, वेतन–भत्तों की पंजिकायें, कोषागार विषयक अभिलेख, सेवा पंजिकायें, बैंक व्यवहार सम्बन्धी पंजिकायें एवं प्रतिपर्ण।
- आय–व्यय सम्बन्धी अभिलेख।
- चल–अचल सम्बन्धी पंजिका/अभिलेख।
- कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा अभिरक्षित एवं सतत अपडेट की गई कम्प्यूटर स्टोर सूचनायें एवं फाईलें।
- बैठकों एवं सभाओं के कार्य विवरण एवं पारित प्रस्ताव।
- राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावलियों का रख–रखाव।
- ऑडिट अनुपालन, आख्या/निराकरण से सम्बन्धित पत्रावलियां।
- सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित लेजर/पंजिका एवं पासबुक।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 04(1)ख में मैनुअल विवरण

मैनुअल क्रम संख्या–06

ऐसें दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियत्रंणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण(धारा 04(1)ख(**vi**)

उच्च शिक्षा निदेशालय में प्रवर्गो के अनुसार आवंटित कार्यो तथा तत्संबधी दस्तावेजों का वर्गीकरण निम्नवत है।

डिग्री सेवा अनुभागः

- शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति।
- पदोन्नति व स्थानान्तरण।
- वेतन निर्धारण चयन/वरिष्ठ प्रोफेसर वेतनमान स्वीकृत, वेतन वृद्धि।
- अवकाश स्वीकृति, अनापत्ति प्रमाण पत्र, विदेश यात्रा भ्रमण।
- अधिष्ठान से संबधित समस्त कार्य।

डिग्री प्लान अनुभागः

- नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना एवं अतिरिक्त विषयों की स्वीकृति।
- विषयों को खोलने हेतु क्लीयरेन्स।
- स्थायी/अस्थाई संबद्वता व पैनल निरीक्षण।
- वार्षिक योजना, पंचवर्षीय योजना, विधान सभा/राज्य सभा/लोक सभा प्रश्न।
- नये पदों का सृजन/आयोजर्न्तगत पदों का सततीकरण।
- व्यावसायिक पाठ्यक्रम।

डिग्री विकास अनुभागः

- भूमि अधिग्रहण।
- भवन–निर्माण–आवासीय, अनावासीय व लघु निमार्ण।
- यू0जी0सी0 अनुदान।

डिग्री बजट अनुभाग (**I**):

- समस्त शासकीय महाविद्यालयों के आयोजनागत/आयोजनेत्तर बजट प्रस्ताव, बजट निर्माण एवं बजट आंबटन।
- बजट अभिभाषण।

- कालातीत बिलों के सम्परीक्षण सम्बन्धी कार्य।

डिग्री पेंशन अनुभाग (**II**):

- पेंशन/सेवा निवृत्ति संबंधी प्रकरण।
- जी0पी0एफ0 स्वीकृति।

डिग्री अर्थ अनुभाग (**I**):

- अशासकीय महाविद्यालयों की प्रशासनिक जांच व निरीक्षण।
- अशासकीय महाविद्यालयों से सम्बन्धित समस्त कार्य।
- समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों का लेखा परीक्षण व आपत्तियों का निराकरण आदि।

डिग्री पेंशन अनुभाग (**II**):

- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति।
- असेवित छात्रवृत्ति।
- प्रतिभावान छात्रवृत्ति।
- शोध छात्रवृत्ति।

डिग्री विधि अनुभाग:

- उच्च शिक्षा से सम्बन्धित न्यायालयी वाद संबंधी कार्य।

डिग्री आडिट अनुभाग:

- विभागीय आडिट इकाई के द्वारा शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों का लेखा–परीक्षण।
-

महाविद्यालय के प्राचार्य के कार्यालयों में धारित सूचनाऐं

महाविद्यालय स्तर पर कार्यालय, प्राचार्य के द्वारा समस्त शैक्षणिक प्रशासनिक एवं वित्तीय अभिलेखों एवं दस्तावेजों को धारित किया जाता है। प्रशासनिक कार्यो के संबंध में आवश्यक दस्तावेज कार्यालय अधीक्षक के नियंत्रणाधीन होते हैं, जबकि लेखाकार के पास वित्तीय दस्तावेज एवं पुस्तकालय से सम्बन्धित अभिलेख पुस्तकालयाध्यक्ष/पुस्तकालय प्रभारी/पुस्तकालय कार्मिक के अधीन रहते हैं। विभिन्न विभागों में रखी गई पत्रावलियां

एवं स्टॉक पंजिकाएं, विद्यार्थी प्रवेश उपस्थिति, परीक्षा पंजिकायें तत्संबधी विभाग प्रभारी अथवा प्रयोगशाला सहायक या स्टोर सहायक के नियंत्रण में रखी जाती है। कुछ विशिष्ट पत्रावलिया एवं पंजिकायें तथा तत्संबधी दस्तावेज प्राचार्य द्वारा गठित समितियों के संयोजकों के नियंत्रणाधीन होती है।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 04(1)ख में मैनुअल विवरण
मैनुअल क्रम संख्या–07

किसी व्यवस्था के विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उसके द्वारा अभयावेदन के लिए विद्यमान है (धारा 04(1)ख(**vii**)

नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके प्रतिनिधित्व के लिये विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना–

शिक्षक अभिभावक संघ (**PTA**)

संस्था एवं स्थानीय समाज के पारस्परिक संबंधों में वृद्धि तथा स्थानीय समाज के समस्त भौतिक, आर्थिक एवं नैतिक सहयोग से संस्था की समस्याओं के निराकरण के प्रयास हेतु राज्य के समस्त महाविद्यालयों में अभिभावक–शिक्षक परिषद (पी0टी0ए0) का गठन किया गया है। प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित इस संघ के उपाध्यक्ष का चुनाव अभिभावकों में से किया जाता है तथा महाविद्यालय के नामित शिक्षक इसके सचिव के रूप में कार्य करते हैं। पी0टी0ए0 के प्रमुख कार्य निम्नवत् हैः–

- शिक्षण संस्थाओं एवं छात्र अभिभावकों के मध्य संवाद स्थापित करना।
- संस्था की नीतियों एवं कार्यक्रमों में जन–सहभागिता को प्रोत्साहित कर परामर्श करना व सुझावों को समुचित महत्व देना।
- संस्था के संसाधनों को बढ़ाने में निजी सहयोग प्राप्त करना।
- अभिभावकों को संस्था के विकास एवं नवीनतम प्रवृत्तियों की जानकारी प्रदान करना।

भूतपूर्व छात्र परिषद (**Alumni Association**)

महाविद्यालयों के उन भूतपूर्व छात्रों, जिन्होंने समाज के विविध क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियाँ अर्जित कर अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है, के साथ संवाद स्थापित कर उनकी उपलब्धियों से विद्यार्थियों को प्रेरित करने तथा उनकी विशेषताओं से संस्था को लाभान्वित करने हेतु भूतपूर्व छात्र परिषदों का गठन भी अनेक महाविद्यालयों में किया गया है, जिसके कार्य निम्नवत हैः–

- गणमान्य पूर्व छात्रों से संवाद स्थापित कर उन्हें विविध क्रियाकलापों एवं आयोजनों में आमंत्रित करना।
- संस्था के गुणवत्तापूर्ण विकास में उनकी सहभागिता प्राप्त करना तथा सुझावों को महत्व देना।
- संस्था के विकास हेतु बहुआयामी समर्थन प्राप्त करने के प्रयास करना।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 04(1)ख में मैनुअल विवरण
मैनुअल क्रम संख्या–08

ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी (धारा 04(1)ख(**viii**)

आदर्श महाविद्यालयों में गठित होने वाली समितियाँ –

गवर्निग बॉडी:

1. अधिकतम तीन सदस्यों का नामांकन राज्य शासन द्वारा अवकाश प्राप्त कुलपतियों, प्राचार्यो एवं शिक्षाविदों में से किया जायेगा, जिनमें से एक अध्यक्ष होगा।
2. महाविद्यालय के दो वरिष्ठतम सदस्यों, जो दो–दो वर्ष के प्राचार्य द्वारा रोटेशन से नामांकित किये जायेंगे।
3. विश्वविद्यालय का नामित सदस्य।
4. प्राचार्य/सदस्य सचिव।

कार्य:

1. महाविद्यालय की वित्त समिति की संस्तुति पर छात्र शुल्क व अन्य देयकों का निर्धारण।
2. छात्रवृत्ति, फेलोशिप, मैडल, पुरस्कार, सर्टिफिकेट का एकेडमिक काउन्सिल की संस्तुति पर निरूपण।
3. डिग्री एवं डिप्लोमा प्रोग्राम का चयन एवं स्थानीय स्थितियों के अनुरूप परिमार्जन।
4. इसके अतिरिक्त महाविद्यालय के विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिये अन्य कार्य।

एकेडेमिक काउन्सिल:

1. प्राचार्य– अध्यक्ष।
2. सभी विभागों के अध्यक्ष/वरिष्ठतम शिक्षक।
3. रोटेशन के वरिष्ठता के आधार पर चार शिक्षक, जिनका चयन प्राचार्य द्वारा किया जायेगा, जिनमें से एक सदस्य प्राचार्य द्वारा सचिव के रूप में नांमित किया जायेगा।
4. उद्योग व्यवस्था विधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्जीनियरिंग आदि क्षेत्रों के चार विशेषज्ञ जिनका नामांकन गवर्निग बॉडी द्वारा किया जायेगा।

5. विश्वविद्यालय के तीन नामित सदस्य, नामित व्यक्तियों का कार्यकाल दो वर्ष होगा। प्राचार्य द्वारा कमेटी की सभा वर्ष में न्यूनतम एक बार आहूत की जायेगी।

कार्यः

1. पाठयक्रम निर्माण एवं संशोधन एकेडेमिक नियमावली, मूल्याकंन की विधि एवं प्रणाली आदि का अनुमोदन।
2. छात्रों के प्रवेश सम्बन्धी नियमावली का निर्धारण।
3. क्रीड़ा प्रतियोगिताओं, शिक्षणेत्तर क्रिया–कलापों एवं क्रीड़ांगन तथा छात्रावास का संचालन।
4. विभिन्न बोर्ड आफ स्टडीज द्वारा प्रस्तावित पाठ्क्रम/नवीन पाठ्यक्रम आदि की गवर्निग बॉडी को संस्तुति करना।
5. संस्था में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति, फेलोशिप, पुरूस्कार एवं मैडल की गवर्निग बॉडी संस्तुति।

बोर्ड आफ स्टडीजः

1. विभागाध्यक्ष– अध्यक्ष।
2. सम्बन्धित विषय के विशेषज्ञ–पांच अध्यापक।
3. एकेडमिक काउन्सिंल द्वारा नामित दो वाह्य विशेषज्ञ।
4. विश्वविद्यालय द्वारा नामित सदस्य नामित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। विभिन्न कार्यो के लिए बोर्ड आफ स्टडीज की मींटिग पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वर्ष में न्यूनतम एक बार प्राचार्य द्वारा आहूत की जायेगी।

कार्यः

1. पाठ्यक्रम में निरन्तर संशोधन/सुधार।
2. नवीनतम अध्यापन एंव मूल्यांकन तकनीक का सुझाव देना।
3. परीक्षकों की सूची एकेडमिक काउन्सिल को देना और शोध शिक्षण–प्रसार तथा अन्य शिक्षणेत्तर गतिविधियों मे समन्वय।

वित्त समिति :

1. प्राचार्य –अध्यक्ष।
2. गवर्निग वॉडी द्वारा नामित सदस्य (कार्यकाल दो वर्ष) हेतु प्राचार्य द्वारा रोटेशन से नामित वरिष्ठतम शिक्षक वित्त समिति गवर्निग बॉडी के सलाहकार के रूप में वित्त समिति कार्य करेगी और वर्ष में दो बार इसकी मीटिंग प्राचार्य द्वारा आहूत

की जायेगी। इसके द्वारा बजट अनुभाग, यू0जी0सी0 को प्रेषित/प्राप्त प्रस्तावों पर विचार, अशासकीय श्रोतों से वित्तीय सहायता और शुल्क के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

महाविद्यालय स्तर पर विभिन्न कार्यो एवं गतिविधियों के संचालन हेतु गठित समितियों का विवरण–

- प्रवेश समिति।
- अनुशासन समिति।
- क्रीड़ा समिति।
- सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति।
- छात्र कल्याण समिति।
- छात्र संघ समिति।
- व्यावसायिक पाठ्यक्रम समिति।
- महाविद्यालय विकास समिति।
- परीक्षा समिति।
- टी0सी0 एवं चरित्र प्रमाणपत्र।
- निर्गत समिति
- एन0सी0सी0 समिति।
- समारोह समिति।
- कैरियर काउन्सिलिंग समिति।
- एन0एस0एस0 समिति।

क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी ?

नियमानुसार बैठकों में नामित जनप्रतिनिधि अथवा विशेषज्ञ तत्संबंधी बोर्ड अथवा समिति या परिषद में सूचना देकर आमंत्रित किए जाते है और उन तक कार्यवृत्त की पहुंच होती ही है किन्तु कतिपय अपवादों को छोड़कर शेष सभी बैठकों के कार्यवृतों तक जनता की पहुंच नियमानुसार उपलब्ध होगी।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 04(1)ख में मैनुअल विवरण
मैनुअल क्रम संख्या–12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के व्यौरे सम्मिलित हैं (धारा 04(1)ख(**xii**)

उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 787/एक्स0वी0आई0आई0–4/2017–01(82)/2014, दिनांक 01.01.2018 तथा पत्र संख्या 45/नि0अ0क0/अ0छात्र/विज्ञप्ति (28/2018–19), दिनांक 26.07.2018 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2018–19 से समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के पोर्टल http://scholarships.gov.inपर ऑनलाईन छात्रवृत्ति की स्वीकृती एवं वितरण के प्रक्रिया प्रभावी है।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 04(1)ख में मैनुअल विवरण
मैनुअल क्रम संख्या–13

रियायत (धारा 04(1)ख(**xiii**)

उत्तराखण्ड शासन के दिशा–निर्देशानुसार समय–समय पर उच्च शिक्षा निदेशालय के अधीन महाविद्यालयों में अध्ययनरत विभिन्न वर्ग के निर्धन छात्र–छात्राओं को अर्द्ध व पूर्ण शिक्षण शुल्क की मुक्ति व्यवस्था की जाती रहती है।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 04(1)ख में मैनुअल विवरण
मैनुअल क्रम संख्या–14

किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हो (धारा 04(1)ख(**xiv**)

- सम्प्रति निदेशालय कार्यालय तथा महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य के कार्यालयों में आधारभूत सूचनाओं के कम्पयूटरीकरण का कार्य प्रगति पर है। निदेशालय कार्यालय में महाविद्यालयों द्वारा तैयार स्टाफ स्टेटमेन्टस कम्प्यूटर में संग्रहित हैं, जो इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध हो सकते है।
- उत्तरा पोर्टल पर उच्च शिक्षा की बेवसाईट उपलब्ध है।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 04(1)ख में मैनुअल विवरण
मैनुअल क्रम संख्या–15

सूचना अभिप्राप्त करने हेतु नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित (धारा 04(1)ख(**xv**)

सूचनाऐं आवेदन पर कार्यालय समय (10 AM – 5 PM) में विभिन्न कार्यदिवसों में उपलब्ध होगी।

- सम्प्रति निदेशालय का स्वंय का भवन व परिसर में हैं।
- उत्तराखण्ड पोर्टल से उच्च शिक्षा से सम्बन्धित उपयोगी सूचनाऐं डाउनलोड की जा सकती है।
- एन0आई0सी0 की वेबसाइट से भी आवश्यक शासनादेश डाऊनलोड किये जा सकते है।
- इस मध्य अपेक्षित सूचनाऐं– निदेशालय कार्यालय से सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी (उपनिदेशक), हल्द्वानी नैनीताल एवं राजकीय/अशासकीय उपाधि/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों से सम्बन्धित सूचनाएं, उनके लोक सूचना अधिकारियों (प्राचार्यो) से प्राप्त की जा सकती हैं।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 04(01)ख में मैनुअल विवरण

मैनुअल क्रम संख्या–16

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां(धारा 04 (1)ख(**xvi**))

अपीलीय अधिकारी – निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

लोक सूचना अधिकारी का नाम व पदनाम :–

निदेशालय स्तर पर–	
डॉ0 आर0 एस0 भाकुनी, लोक सूचना अधिकारी/ उप निदेशक उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल) ।	दूरभाष संख्या– 05946–240555, 9412364210
महाविद्यालय स्तर पर लोक सूचना अधिकारी :– महाविद्यालय के प्राचार्य	